

112

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : एफ 3(1) वन/2012

जयपुर, दिनांक : 5.11.2012

अधिसूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 36 ए के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार एतद् द्वारा कोटा जिले की लाडपुरा तहसील की ग्राम उम्मेदगंज की 272.47 हैक्टर भूमि जिसका विवरण अनुसूची-I में है तथा जिसका सीमा विवरण अनुसूची-II के अनुसार है को पारिस्थितिकी व जीव-जन्तु, वनस्पति, भू-प्रकृति विज्ञान, संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जरवेशन रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा करती है जिसे भविष्य में "उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूची-I

खण्ड-1

क्र०सं०	नाम ग्राम	कन्जरवेशन रिजर्व में सम्मिलित खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1	उम्मेदगंज	453	10.76
2		454	0.03
3		456	3.58
4		457	22.14
5		458	1.59
6		459	16.00
7		460	16.98
8		461	17.50
9		462	17.54
10		541	28.35
11		542	26.03
12		543	30.02
13		544	31.45
		योग	221.97

खण्ड-2

1	उम्मेदगंज	429	1.97
2		430	45.19
3		432	2.08
4		442	1.26
		योग	50.50
		महायोग	272.47

अनुसूची-II

रिजर्व की सीमाओं का विवरण.

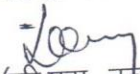
खण्ड-1

- उत्तर- दांयी मुख्य नहर के पटड़े के सहारे ग्राम उम्मेदगंज के खसरा नं० 453 की बाहरी सीमा एवं खसरा नं० 453/572 को बाहर करते हुए खसरा नं० 453 व 455 की कोमन सीमा। खसरा नं० 455 की दक्षिणी सीमा जो खसरा नं० 454, 462, 461, 457 की कोमन लाईन के सहारे-सहारे खसरा नं० 455 व 456 की कामन लाईन तक।
- दक्षिण- ग्राम उम्मेदगंज के खसरा नं० 543 व 544 की दक्षिणी सीमा जो एक ओर डाढ़देवी सड़क एवं दूसरी ओर ग्राम मोतीपुरा की राजस्व सीमा को छूती है।
- पूर्व- खसरा नं० 456, 542 एवं 543 की पूर्वी सीमा से होते हुए खसरा नं० 543 एवं 546 की कामन सीमा तक। यह सीमा राजस्व ग्राम मोतीपुरा की सीमा भी है।
- पश्चिम- दाई मुख्य नहर के पटड़े से डाढ़देवी सड़क के सहारे-सहारे परन्तु सड़क को बाहर करते हुए ग्राम उम्मेदगंज के खसरा नं० 453, 462, 460, 459, 541 एवं 544 की पश्चिमी सीमा बनाते हुए खसरा नं० 544 एवं 545 की कामन सीमा तक।

खण्ड-2

- उत्तर पूर्व - ग्राम उम्मेदगंज के खसरा नं० 442, 432 एवं 429 जो तालाब की पाल है की उत्तरी सीमा व ग्राम उम्मेदगंज के खसरा नं० 431 के महल को बाहर करते हुए दक्षिणी सीमा।
- दक्षिण पश्चिम-ग्राम उम्मेदगंज के खसरा नं० 430 तालाब की नहर के पटड़े के सहारे-सहारे सीमा जो खसरा नं० 429 के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(सी.एस. रत्नासामी)

शासन सचिव